राजस्थान सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक 97(6)खा.वि./सा.वि.प्र./2014 जयपुर, दिनांकः 28.03.2015

1. समस्त जिला कलक्टर्स,
2. समस्त जिला रसद अधिकारी,

राजस्थान।

विषयः– ई–मित्र/सीएससी के माध्यम से राशन कार्ड कार्य कराये जाने बाबत।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड के माध्यम से अनुदानित दर पर खाद्यान्न, केरोसीन, चीनी इत्यादि विभाग द्वारा वितरित की जाती हैं। विभाग द्वारा सम्पूर्ण राज्य में 94 प्रतिशत उपभोक्ताओं को नवीन डिजिटाईज्ड राशन कार्ड्स (DRC) उपलब्ध कराये जा चुके हैं। उक्त डिजिटाईज्ड राशन कार्ड्स 01.04.2015 से प्रदेश में लागू हो जायेंगे। वर्तमान में नवीन/डुप्लीकेट राशन कार्ड्स बनाने तथा तैयारशुदा राशन कार्ड्स में सदस्यों के नाम जोड़ने, घटाने, परिवर्धन और परिवर्तन का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। उक्त कार्य दिनांक 01.04.2015 से सम्पूर्ण राज्य में ई–मित्र/सीएससी के माध्यम से कराया जाना है। इस संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिनांक 02.02.2015 को जारी किए जा चुके हैं। इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 04.03.2015 तथा प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 18.03.2015 को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी थी। अतः आप निम्नानुसार व्यवस्थायें दिनांक 01.04.2015 से पूर्व सुनिश्चित कर लेवें:–

1. राशन कार्ड्स हेतु पूर्व मुद्रित स्टेशनरी मुख्यालय से प्राप्त कर सभी प्राधिकृत अधिकारियों के कार्यालयों में पहुँचाया जाना सुनिश्चित करें ताकि प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उक्त स्टेशनरी ई–मित्र/सीएससी पर उपलब्ध करायी जा सके। कियोस्कधारी संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से ही आवेदन फार्म एवं पूर्व मुद्रित स्टेशनरी प्राप्त करेंगे। होलोग्राम राजकॉम्प ईन्फो सर्विसेज लि. (RISL) द्वारा ई–मित्र/सीएससी पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

2. पूर्व मुद्रित आवेदन पत्र भी मुख्यालय से पर्याप्त संख्या में प्राप्त कर लेवें तथा सभी प्राधिकृत अधिकारियों के कार्यालयों में पहुँचाया जाना सुनिश्चित करें ताकि प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उक्त स्टेशनरी ई–मित्र/सीएससी पर उपलब्ध करायी जा सके। आवेदन पत्र का प्रारूप दिनांक 02.02.2015 के परिपत्र के साथ भी संलग्न कर भिजवाया गया था तथा विभागीय वैबसाईट पर भी उपलब्ध है।

3. प्रत्येक माह 5 तारीख को कियोस्कधारी समस्त आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारियों के कार्यालय में जमा करायेंगे तथा इसी दिन प्राधिकृत अधिकारियों से आवेदन पत्र एवं पूर्व मुद्रित स्टेशनरी प्राप्त करेंगे तथा पूर्व में प्राप्त की गयी मुद्रण सामग्री के उपयोग का लेखा–जोखा भी पेश करेंगे। इस हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थायें की जानी सुनिश्चित करें।

4. ई–मित्र/सीएससी पर आवेदन करने एवं आवेदक को तैयार राशन कार्ड्स उपलब्ध कराने की समस्त प्रक्रिया अधिकतम सात दिवस में पूर्ण की जानी है। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब होने पर संबंधित प्राधिकृत अधिकारी जिम्मेवार होंगे। अपरिहार्य कारणों से विलम्ब होने पर आवेदक को एसएमएस के माध्यम से अथवा दूरभाष पर सूचित किया जावे।

5. समस्त प्राधिकृत अधिकारियों (जिला रसद अधिकारी/विकास अधिकारी/स्थानीय निकायों के प्राधिकृत अधिकारी) के डिजिटल हस्ताक्षर बनवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। इस बाबत पूर्व में भी अनेकों बार आपको निर्देशित किया जा चुका है।

6. ई–मित्र/सीएससी कियोस्क के माध्यम से राशन कार्ड्स तैयार किए जाने के लिए आवेदकों से लिए जाने वाले शुल्क संबंधी विवरण की जानकारी संलग्न कर भिजवायी जा रही है, इसका प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें।

7. जिन राशन कार्डधारकों के राशन कार्ड्स में उचित मूल्य दुकान का नम्बर अथवा पता गलत दर्ज है, उनमें तुरन्त प्रभाव से शुद्धि विभागीय स्तर से भी कराया जाना सुनिश्चित कर लेवें।

8. अपने जिले के समस्त प्राधिकृत अधिकारियों के नाम, पदनाम, दूरभाष तथा क्षेत्राधिकार संबंधित सूचना संकलित कर समस्त कियोस्कधारियों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

9. प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न अधिकारियों/कार्मिकों को प्रशिक्षण जिला स्तर से दिये जाने की व्यवस्था करावें। इसमें सहयोग के लिए एनआईसी के तकनीकी निदेशक श्री एस.सी. गुप्ता (मो. 9829251652) तथा सूचना प्रौद्योगिकी एंव संचार विभाग के संयुक्त निदेशक, श्री आर. के. शर्मा (मो. 9413387309) से सम्पर्क किया जा सकता है।

10. उक्त प्रक्रिया का पर्याप्त प्रचार–प्रसार दैनिक समाचार पत्रों तथा अन्य माध्यमों से कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–

1. कियोस्कधारी द्वारा लिये जाने वाले शुल्क का विवरण।
2. आवेदन पत्र का प्रारूप
3. विभागीय परिपत्र दिनांक 02.02.2015

28/03/15

(डॉ. सुबोध अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक 97(6)खा.वि. / सा.वि.प्र. / 2014 जयपुर, दिनांकः 28.03.2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, खाद्य विभाग, जयपुर।संयुक्त निदेशक (ई–मित्र), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज. जयपुर।
10. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि वे जिले के समस्त संबंधित अधिकारियों यथा– तहसीलदार / विकास अधिकारी / नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी / प्रवर्तन अधिकारी / प्रवर्तन निरीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित / निर्देशित करें।
11. समस्त अधिकारीगण, खाद्य विभाग, राजस्थान।
12. रक्षा पत्रिका।

(जस्साराम चौधरी)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त